

११/३/१७

दिनांक ११/३/१७ धारा ११ L.R.A. 1956
पत्रावली पेश हुई। जैर साधलान अतिक्रमि
उपस्थित। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि
पटवारी हल्का औलना हारा इस आशय की
रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि राजकीय भूमि का
खोहरा आ.सं. नं. १०३ कुल रकबा १.६५ हे० किमी
जमीन बजेट कडीय पर श्री जमील पुत्र मंडे खां
कोय मेव सा. खोहरा तह. कामा हारा ०.२० हे०
रकबा पर जिस सरसो लेकर नाधापज अतिक्रमण
कर लिया है।

उक्त उपरि उक्ति क्रिया जाकर जैर साधलान के
विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की
धारा ११ के तहत नोटिस जारी किया गया।
जिसकी पालना में जैर साधलान अतिक्रमि उक्त
अज्ञात प्राप्ति तथा जवाब प्रस्तुत नहीं किया।
पत्रावली का अवलोकन किया गया अतिक्रमि रकबा
बजेट कडीय जो कि राजकीय एवं सार्वजनिक
उपयोग की भूमि है। जिसे अतिक्रमि के वेदखल
किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम १९५६ की धारा ११ के तहत अतिक्रमि
श्री जमील पुत्र मंडे खां कोय मेव सा. खोहरा
की आ.सं. नं. १०३ रकबा ०.२० हे० वाले ग्राम
खोहरा में फसल हारसो लेकर अतिक्रमण
के वेदखल किया जाता है तथा लगान १.८० की
पच्चास गुणा राशि = ९०० रुपये (नब्बे रुपये) के
वर्द्धित किया जाता है। जिसकी T.R.A. का भाग
कायम कराई जावे। व पटवारी हल्का को पैनली
पटवारी एवं वेदखली हेतु तथा खरी फसल के
नीलाय का फंड नीलायी स्वीकृति हेतु लिखा
जाकर पत्रावली के तालं शुभ्य होकर वाद तकनील
दाखिल इफतर हो।

निर्णय आज दिनांक ११/३/२०१७

रजुले न्यायालय में सुनाया गया /
तहसीलदार
कामा (भरतपुर)

राज. नं.
क्र.सं. ११
कायम
तहसील राज